

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयो. एवं वन बंदोबस्त) राजस्थान, अरण्य भवन जयपुर
क्रमांक: एफ1(205) आयोजना बजट/उवसं/सू.प्रौ./2022-23/ दिनांक :

कार्यालय आदेश

वर्ष 2022-23 हेतु बजट मद 2406-01-101(10) जैव विविधता का संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय पर्यटन 62-कम्प्यूटरीकरण एवं तत्संबंधी सूचना व्यय (आयोजना) में उप वन संरक्षक, वन्यजीव कोटा में रेंज जैतपुर एवं उप वन संरक्षक सीकर में रेंज हर्षनाथ नाम से Highly Skilled man power हेतु आवंटित बजट प्रत्याहारित किया जाता है एवं अधोलिखित कार्यालयों को निम्नानुसार बजट आवंटित किया जाता है:-

कार्यालय वार प्रत्याहारित राशि

क्र.सं.	क्षेत्र	कार्यालय का नाम	रेंज का नाम	प्रत्याहारित राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1.	CCF JAIPUR	DCF SIKAR	HARSHNATH	1.15	AS PER LETTER DCF SIKAR NO. 11034 Dt.21.10.2022
2.	CCF WL KOTA	DCF WL KOTA	JETPUR	1.15	AS PER LETTER DCF WL KOTA NO. 5811-13 Dt.10.11.2022
		योग		2.30	

कार्यालय वार आवंटित राशि

क्र.सं.	क्षेत्र	कार्यालय का नाम	रेंज का नाम	आवंटित राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1.	CCF JAIPUR	DCF SIKAR	LAXMANGARH	0.8	AS PER LETTER DCF SIKAR NO. 11034 Dt.21.10.2022
			PATAN	0.8	
2.	CCF WL KOTA	DCF & DFD RVTR, BUNDI	JETPUR	1.15	AS PER LETTER DCF WL KOTA NO. 5811-13 Dt.10.11.2022
		योग		2.75	

- वित्त (आय-व्ययक) विभाग द्वारा जारी प्रपत्र F4(1)FD-1(1)budget/2021 Dt. 30.03.2021 में दिए गये निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही/स्वीकृतियां जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
- वित्त (G&T) विभाग द्वारा जारी प्रपत्र F2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 Dt. 30.04.2018 में लोक उपापन में मानव संसाधन की सेवाओं के उपापन के संबंध में दिए गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान जयपुर के परिपत्र संख्या:एफ3(विविध)प्रमुवसं लेखा/बजट/2017-18 /8463-582 दिनांक : 23.01.2018 की पालना सुनिश्चित करें।
- आवंटित बजट का उपयोग केवल निर्धारित कार्य के लिए ही किया जावे तथा आवंटन उन्ही कार्यालयों के लिए है जिनमें कम्प्यूटर संसाधन की उपलब्धता है। जिन कार्यालयों में कम्प्यूटर संसाधन नहीं है वहां इस राशि का उपयोग नहीं किया जावे।
- अधीनस्थ कार्यालयों को आवंटित बजट की मॉनिटरिंग संबंधित मुख्य वन संरक्षक स्तर पर करनी होगी। अधीनस्थ कार्यालय इस अनुभाग से सीधे पत्राचार न करें। बजट की आवश्यकता नहीं हो तो 15 दिवस में राशि समर्पित करते हुए इस कार्यालय को सूचित करें।
- प्रत्येक वन मण्डल एवं मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय में प्रति माह एक से अधिक Highly Skilled Manpower नहीं रखे जावें।
- अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हेतु संबंधित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से औचित्य पूर्ण प्रस्ताव भिजवायें।

(उदय शंकर)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर

क्रमांक : एफ1(205)आयोजना बजट/अप्रमुवसं/ उवस/सू.प्रौ./2022-23/ **1599-1605** दिनांक : **28.11.22**
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास) राजस्थान जयपुर।
- 2 वित्तीय सलाहकार, वन विभाग अरण्य भवन जयपुर।
- 3 मुख्य वन संरक्षक, जयपुर एवं वन्यजीव कोटा।
- 4 उप वन संरक्षक, सीकर एवं वन्यजीव कोटा।
- 5 रक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार जैन)

उप वन संरक्षक
सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर